



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082025-265267
CG-DL-E-08082025-265267

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3532]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2025/श्रावण 15, 1947

No. 3532]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2025/SHRAVANA 15, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2025

का.आ. 3619(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण करने तथा उसमें सुधार करने और तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, कम करने तथा नियंत्रित करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बने राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :-

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	अध्यक्ष, पदेन ;
2.	विशेष सचिव या अपर सचिव (तटीय विनियमन क्षेत्र), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन ;
3.	डा. पी.के. दिनेश कुमार, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय समुद्र	सदस्य, विशेषज्ञ ;

	विज्ञान संस्थान, रेवती, 3/704 ए, यूनिटी नगर टेम्पल रोड, चेम्बुमुक्कु, थिक्काकरा पी.ओ. कोच्चि-682021 केरल, भारत	
4.	निदेशक, राष्ट्रीय सतत तटीय विकास प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम), चेन्नई, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन ;
5.	निदेशक, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, (एनसीसीआर), चेन्नई, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ।	सदस्य, पदेन ;
6.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, जल शक्ति मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
7.	उप महानिदेशक (मत्स्य पालन), आईसीएआर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
8.	संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्य पालन), मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	सदस्य, पदेन ;
9.	संयुक्त सचिव (पर्यटन) पर्यटन मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
10.	संयुक्त सचिव (यूटी), गृह मंत्रालय, तटीय संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित कार्य या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
11.	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
12.	उप महानिदेशक (संचालन एवं तटीय सुरक्षा), भारतीय तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
13.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), गुजरात सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
14.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), महाराष्ट्र सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
15.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), गोवा सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
16.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), कर्नाटक सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
17.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), केरल सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
18.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), लक्षद्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र, या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
19.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), तमिलनाडु सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
20.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), पुडुचेरी सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
21.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), आंध्र प्रदेश सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
22.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), ओडिशा सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
23.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), पश्चिम बंगाल सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
24.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
25.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र, तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के या उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
26.	संयुक्त सचिव या समकक्ष, तटीय विनियमन क्षेत्र, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित ।	सदस्य सचिव, पदेन ;

2. प्राधिकरण का अपना मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति दस सदस्यों से होगी और यदि बैठक में गणपूर्ति नहीं होती है तो तीस मिनट के लिए बैठक स्थगित कर दी जाएगी और पुनः बैठक की जाएगी।

4. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा, अर्थात्:-

(i) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हो, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्य क्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों की कार्यवाहियों का समन्वय करेगा ;

(ii) प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों से प्राप्त तटीय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजनाओं के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के प्रस्तावों का परीक्षण करेगा

और उसके लिए केन्द्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करेगा ;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हो, के उपबंधों के अतिक्रमणों के मामलों का स्व:प्रेरणा से या किसी व्यक्ति या निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुनर्विलोकन करेगा और जहाँ कहीं आवश्यक हो, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करेगा ;

(iv) प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सरकारों या प्रशासनों को तटीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार से संबंधित विषयों में तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा और तटीय क्षेत्र प्रबंध से संबंधित विषयों में नीति, नियोजन, अनुसंधान और विकास, उत्कर्ष केंद्रों की स्थापना तथा वित्तपोषण पर केन्द्रीय सरकार को सलाह दे सकेगा ;

(v) प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए तटीय जोन प्रबंध योजनाओं (सीजेडएम्पीएस), तटीय द्वीप विनियमन जोन योजना (आईसीआरजेडपी), एकीकृत द्वीप प्रबंध योजनाओं (आईआईएम्पीएस) और उनमें उपांतरणों की परीक्षा करेगा और उसका अनुमोदन करेगा ;

(vi) प्राधिकरण, अपनी बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त से संबंधित सूचना को मंत्रालयों की वेबसाइट के माध्यम के साथ ही लोकाधिकारी क्षेत्र में प्रदर्शित करेगा ;

(vii) प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियाँ और कृत्य, केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ;

(viii) प्राधिकरण, जहाँ कहीं अपेक्षित हो, अपनी बैठकों के दौरान किसी अन्य विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेगा ;

(ix) पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए विनिश्चय के शर्तों और निबंधनों के अनुसार भत्ते संदत्त किए जाएंगे ।

[फा. सं. जे-17011/18/96-आईए.।।।]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 6th August, 2025

S.O. 3619(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, for the purpose of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas, constitutes the National Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

S.No.	Members	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Secretary, Ministry of Environment Forest and Climate Change.	Chairman, <i>exofficio</i> ;
2.	Special Secretary or Additional Secretary (Coastal Regulation Zone), Ministry of Environment, Forest and Climate Change.	Member, <i>exofficio</i> ;
3.	Dr. P.K.Dinesh Kumar,	Member, Expert;

	Former Chief Scientist, Council of Scientific and Industrial Research - National Institute of Oceanography. Revathy, 3/704 A, Unity Nagar Temple Road, Chembumukku, Thrikkakara P.O Kochi – 682021. Kerala, India.	
4.	Director, National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM), Chennai, Ministry of Environment, Forest and Climate Change.	Member, <i>exofficio</i> ;
5.	Director, National Centre for Coastal Research (NCCR), Chennai, Ministry of Earth Sciences.	Member, <i>exofficio</i> ;
6.	Member Secretary, Central Ground Water Authority, Ministry of Jal Shakti or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
7.	Deputy Director General (Fisheries), ICAR, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
8.	Joint Secretary (Marine Fisheries), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.	Member, <i>exofficio</i> ;
9.	Joint Secretary (Tourism) Ministry of Tourism or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
10.	Joint Secretary(UT), Ministry of Home Affairs, dealing with Coastal Union Territories or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
11.	Joint Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
12.	Deputy Director General (Operations and Coastal Security), Indian Coast Guard, Ministry of Defence, Government of India or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
13.	Principal Secretary (Environment), Government of Gujarat or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
14.	Principal Secretary (Environment), Government of Maharashtra or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
15.	Principal Secretary (Environment), Government of Goa or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
16.	Principal Secretary (Environment), Government of Karnataka or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
17.	Principal Secretary (Environment), Government of Kerala or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
18.	Principal Secretary (Environment), UT of Lakshadweep Islands or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
19.	Principal Secretary (Environment), Government of Tamil Nadu or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
20.	Principal Secretary (Environment), Government of Puducherry or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
21.	Principal Secretary (Environment), Government of Andhra Pradesh or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
22.	Principal Secretary (Environment), Government of Odisha or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
23.	Principal Secretary (Environment), Government of West Bengal or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
24.	Principal Secretary (Environment), UT of Andaman and Nicobar Islands or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
25.	Principal Secretary (Environment), UT of Daman and Diu Coastal Zone Management Authority or his representative.	Member, <i>exofficio</i> ;
26.	Joint Secretary or equivalent dealing with Coastal Regulation Zone, Ministry of Environment, Forest and Climate Change.	Member Secretary, <i>exofficio</i> .

2. The Authority shall have its headquarter at New Delhi.
3. The quorum of the meeting of the Authority shall be ten members and in case the quorum is not available, the meeting shall be adjourned for thirty minutes and shall be reconvened.
4. The Authority shall exercise the following powers and function, namely:-
 - (i) the Authority shall co-ordinate the actions of the State Coastal Zone Management Authorities and the Union Territory Coastal Zone Management Authorities under the said Act and the rules made thereunder, or under any law which is relatable to the objects of the said Act;
 - (ii) the Authority shall examine the proposals for changes or modification in the classification of Coastal Zone Areas and in the Coastal Zone Management Plans received from the State Coastal Zone Management Authorities and the Union Territory Coastal Zone Management Authorities, and make specific recommendations to the Central Government therefor;
 - (iii) the Authority shall hold review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or any other law which is related to the objects of the said Act, either *suo-motu* or on the basis of complaint made by an individual or body, or organisation, and wherever necessary, issue directions under section 5 of the said Act;
 - (iv) the Authority shall provide technical assistance and guidance to the concerned State Government, Union territory Governments or Administrations, in the matters relating to protection and improvement of the coastal environment and may advise the Central Government on policy, planning, research and development, setting up of centers of excellence and funding in matters relating to coastal areas management;
 - (v) the Authority shall examine and approve the Coastal Zone Management Plans (CZMPs), Island Coastal Regulation Zone Plan (ICRZP), Integrated Island Management Plan (IIMPs) and modifications thereof submitted by the State Coastal Zone Management Authorities and Union Territory Coastal Zone Management Authorities;
 - (vi) the Authority shall place information regarding the agenda and minutes of its meeting in the public domain, including through Ministry's Website;
 - (vii) the foregoing powers and functions of the Authorities shall be subject to the supervision and control of the Central Government;
 - (viii) the Authority may, whenever required, invite other expert as a member during its meetings;
 - (ix) The member, other than an *exofficio* Member, shall be paid allowance as per the terms and conditions decided by the Central Government.

[F. No. J-17011/18/96-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.